प्रेषक,

महानिरीक्षक निबंधन/ आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, शिविर-लखनऊ |

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
2- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश |

संख्या- 1978/शि0का0लख0/00 दिनांक अक्टूबर 04, 00

विषयः- तहसीलदारों को दाखिल खारिज हेतु प्रेषित किए गए बैनामों की फोटो प्रतियों पर उनके द्वारा स्टाम्प कमी बताते हुए संदर्भित किया जाना |

महोदय,

जनपद मुरादाबाद में तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लगभग एक दर्जन ऐसे दस्तावेज में स्टाम्प की कमी बताते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) / जिला निबंधक को प्रकरण संदर्भित किया गया है जिनमें उन्हे बैनामें की फोटो प्रतियां शासनादेश के अनुपालन में निबंधन के तत्काल पश्चात इस आशय से प्रेषित की गई थी कि वह अपने स्तर से इनमें दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनिश्चित करें | तहसीलदार द्वारा संदर्भण के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट को देखने से यह विदित हुआ है कि इसके लिए तहसीलदार ने एक प्रारूप भी छपवा रखा है जिसमें केवल पक्षों का नाम एवं विवरण आदि भर दिया जाता है | इस प्रारूप में वांछित आराजी क्रेता द्वारा व्यवसायिक उद्देश्य से क्रय की है, पूर्व से ही टंकित है। इस प्रारूप में कही भी उपरोक्त सूचना का आधार नही व्यक्त किया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि आराजी के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु क्रय किये गये होने के बारे में सूचना का आधार किसी राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात दी गई रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण, उपरोक्त क्रय के संबंध में तहसीलदार को प्राप्त किसी शिकायत पर कराई गई जांच आख्या में प्राप्त तथ्य अथवा अन्य कौन से श्रोत हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/जिला निबंधन द्वारा मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी की गई है परन्तु कोई आधार अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण नोटिस वापस ली गई | स्पष्ट है कि इन प्रकरणों में करापवंचन का मामला न बनने के कारण जहां शासन की आय में कोई बढ़ोत्तरी नही हुई वही दूसरी तरफ जनसामान्य को अनावश्यक रूप से कचहरी और न्यायालय में भागदौड़ करनी पड़ी जिससे उनका उत्पीड़न तो होता ही है साथ ही शासन की छवि भी धूमिल होती है |

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश संख्या-क0नि0-5-1420/दो-99 दिनांक 16 अगस्त 1999 में स्थिति पूर्णरूपेण स्पष्ट की जा चुकी है जिसमें कहा गया है कि अचल सम्पत्ति का भविष्य में संभावित उपयोग तथा क्रेता का भूमि

को क्रय करने के पीछे भविष्य में क्या उद्देश्य है इसको बाजार मूल्य के आगणन का आधार बनाया जाना विधिक रूप में भी पुष्ट नही है | इस शासनादेश की प्रतियां समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी तथा समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) उत्तर प्रदेश को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है परन्तु तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना/अनदेखी करते हुए उपरोक्त सभी प्रकरणों में पूर्णतया स्वेछाचारी ढंग से समस्त कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार के एक प्रकरण में मुरादाबाद के मण्डलायुक्त द्वारा भी अपने स्तर से उप महानिरीक्षक निबंधन/ उप आयुक्त स्टाम्प मुरादाबाद मण्डल से जांच कराई जा रही है

इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कुछ तहसीलदारों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही प्रचलन में हो और संगठित तौर पर निहित स्वार्थोवश बिना किसी ठोस आधार के दस्तावेजों कें सदंर्भण की कार्यवाही करके क्रेता, विक्रेतागण का उत्पीड़न किया जा रहा हो। यद्यपि उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 1999 में स्थिति स्पष्ट कर दिए जाने के बाद भी यदि किसी अन्य जनपद में तहसीलदारों द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के स्वयं की परिकल्पना पर प्रलेखों का संदर्भण करने अथवा न करने का निर्णय लिया जा रहा है तो इससे संबंधित अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) की अपने कर्तव्यों के प्रति असतर्कता एवं उदासीनता भी प्रदर्शित होती है |

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर भी स्थिति की समीक्षा करके यह सुनिश्चित कर लें कि तहसीलदारों द्वारा दाखिल खारिज के उद्देश्य से भेजे गये बैनामें की फोटो प्रतियों पर स्वेच्छाचारी ढंग से बिना किसी आधार के संदर्भण की कार्यवाही तो नही की जा रही है | बैनामें की फोटों प्रतियां तहसीलदार कों भेजे जाने के निर्णय में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मासिक बैठकों में इस बात की भी समीक्षा की जाए कि निबंधन कार्यालयों से कृषि योग्य भूमि के बैनामें की फोटो प्रतियां के प्राप्त प्रकरणों के सापेक्ष कुल कितने प्रकरणों में समय से दाखिल खारिज की कार्यवाही तहसीलदार स्तर पर पूर्ण कर ली गई और यदि इसमें विलम्ब हो रहा है तो उसका क्या कारण है | ऐसा करके ही तहसील के अधिकारियों / कर्मचारियों का मनमानें ढंग से की जा रही कार्यवाही पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जाना सम्भव हो सकेगा | कृपया अपने स्तर से सभी सम्बन्धित को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 1999 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें |

भवदीय

वीरेश कुमार

महानिरीक्षक निबंधन/ आयुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या - 1978(1)/शि0का0लख0/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उप महानिरीक्षक निबंधन/उप आयुक्त स्टाम्प, सहायक महानिरीक्षक निबंधन/ सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि यदि उनके जनपद में ऐसा कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें तथा जिलाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठकों में भी स्टाम्प देयों की वसूली, स्टाम्पवादों के निस्तारण के साथ इस बिन्दु पर भी चर्चा करने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध करें|

वीरेश कुमार
महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश लखनऊ